



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012021-224764
CG-DL-E-29012021-224764

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942

No. 368]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

का.आ. 400(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, तमिलनाडु राज्य में मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रायोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री एम. गुनासीलन, तहसीलदार, वेल्लोर, तमिलनाडु सरकार को श्री थिरु पी. गुनासेकरन, राजस्व विभागीय अधिकार, होसुर, तमिलनाडु सरकार के स्थान पर, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा सं. एल-14014/21/2016-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2021

S.O. 400(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri M. Gunaseelan, Tehsildar, Vellore, Government of Tamil Nadu vice Shri Thiru P. Gunasekaran, Revenue Divisional Officer, Hosur, Government of Tamil Nadu to perform the functions of Competent Authority on deputation basis under the petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for all natural Gas Pipeline Projects of M/s Gail (India) Limited in the State of Tamil Nadu.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/21/2016-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.